न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 51/2016

CIS Reg. No. – CRI. CASE/1224/2016

CNR No. : RJJH020001512016

राजस्थान राज्य बनाम तेजपाल वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 41/2013, पुलिस थाना बुहाना

अपराध अन्तर्गत धाराः 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सुबे सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी गुन्ती, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. तेजपाल पुत्र प्रहलाद राम नूनियां, (**दिनांक 07.11.2019 को कार्यवाही उपशमनित**) 2. महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद राम, निवासीगण नूनियां गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं (राज.) **(दिनांक 13.06.2023 को कार्यवाही उपशमनित)**
राज्य की ओर से	श्री राजपाल महला, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार	श्री अशोक शर्मा

B

अपराध की दिनांक	31.01.2011

Authenticated Document

प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	06.02.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	08.01.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.09.2016
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	28.09.2016
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.03.2026
निर्णय दिनांक	25.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	–––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	महेश कुमार	23.11.2015	15.06.2020	420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता 3/4,5,6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978	दोषमुक्त	--	––

<u>भाग–द्वितीय</u>

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची</u>

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	सुबे सिंह	ताईद फर्द एफआईआर व बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 2	जयप्रकाश	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 3	सोनू	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 4	लियाकत अली	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 5	महेश कुमार	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 6	सुरेन्द्र कुमार	ताईद फर्द जब्ती सीडी
पी.डब्ल्यू. 7	पितरपाल	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 8	पूनम देवी	ताईद बयान 161 दप्रसं

Authenticated Document

पी.डब्ल्यू. 9	सुमन कुमारी	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 10	मनोहरलाल शर्मा	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू. 11	अंकित	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 12	किशोर देवी	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू 13	शीशराम	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डब्ल्यू 14	विजयसिंह	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 15	खेमचन्द	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 16	बनारसी	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 17	दिनेश कुमार	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 18	मायावती	ताईद बयान 161 दप्रसं
पी.डबल्यू 19	गणेशनाथ	ताईद हालात तफ्तीश

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	परिवाद
02	प्रदर्श पी 02 लगायत 09	बॉण्ड
03	प्रदर्श पी 10	सीडी
04	प्रदर्श पी 11	फर्द जब्ती सीडी
05	प्रदर्श पी 12	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह पितरपाल
06	प्रदर्श पी 13	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह मनोहरलाल
07	प्रदर्श पी 14	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह अंकित कुमार
08	प्रदर्श पी 15	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह शिशराम
09	प्रदर्श पी 16	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह बनारसी देवी

Authenticated Document

10	प्रदर्श पी 17	बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह दिनेश कुमार
11	प्रदर्श पी 18	कम्पनी रजिस्ट्रेशनशन के दस्तावेज
12	प्रदर्श पी 19	मैमोरेण्डम
13	प्रदर्श पी 20	तस्वर फर्द गिरफ्तारी मुलजिम तेजपाल सिंह
14	प्रदर्श पी 21	तस्वर फर्द गिरफ्तारी मुलजिम महेश कुमार

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

–निर्णय–

दिनांक –25 मार्च, 2026

1. प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त तेजपाल एवं सुरेंद्र की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 07.11.2019 एवं 13.06.2023 को दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है। प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.01.2013 को परिवादी सुबे सिंह ने विपक्षीगण महेश कुमार, इन्द्राज सिंह व मुसदीलाल के विरूद्ध एक परिवाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दिनांक 31.01.2011 को मुसदीलाल, महेश व इन्द्राज के साथ परिवादी के घर आए और कहा कि प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी कम्प्यूटर शिक्षा का काम

करती है तथा आर्थिक लाभ भी देती है। तीनों अभियुक्तगण ने परिवादी से कहा कि आप इस कम्पनी से जुड़ जाओ आपके बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा मिलेगी तथा जितनी राशि जमा करवाओगे उसका 25 प्रतिशत 18 माह बाद वापस मिल जायेगा तथा 36 माह बाद पुनः 25 प्रतिशत राशि मिल जायेगी तथा 6 वर्ष बाद शेष बची राशि की दो गुणी राशि व दो मोटरसाईकिल मिलेगी तथा प्रत्येक बॉण्ड पर पचास हजार रूपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। परिवादी ने कम्पनी की लाभकारी योजना को देखते हुए उसी दिन तीन बॉण्ड राशि क्रमशः 6900, 13800, 13800/– रूपये के अपने नाम से तथा दो बॉण्ड अपनी पत्नी रामकला देवी के नाम से क्रमशः 6900/– रूपये व 13800/–रूपये के लिये, इस प्रकार परिवादी ने कुल 55,200/–रूपये अभियुक्तगण द्वारा बतायी गयी लाभकारी योजना के तहत प्रभावित होकर जमा करवा दिये। 6 माह बाद दिनांक 31.07.2011 को अभियुक्तगण पुनः परिवादी के पास आये और कहा कि आप तीन बॉण्ड और ले लो तो कम्पनी में आपकी पॉजीशन का प्रमोशन हो जायेगा और आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा जिससे प्रभावित होकर परिवादी ने उसी दिन अपने नाम से तीन बॉण्ड राशि क्रमशः 7800, 11800, 11800/– रूपये के ले लिये जिस पर प्रत्येक बॉण्ड पर एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा देने की बात कही। 18 माह बाद जब पहले लिये बॉण्ड की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान का समय आया तो परिवादी अभियुक्त संख्या 3 मुसदीलाल से मिला और राशि देने की बात कही तो उसने कहा कि दोनों बॉण्ड दिनांक 31.01.2011 व 31.07.2011 को लिये गये बॉण्ड के साथ ही भुगतान कर देंगे तथा पहले बॉण्ड पर 25 प्रतिशत राशि का बढा ब्याज भी दे देंगे, इस पर परिवादी ने उक्त बातों पर विश्वास कर लिया तथा कुछ नहीं कहा। दिनांक 31.07.2011 को दूसरी बार लिये गये बॉण्ड को 6 माह का समय हो गया तो परिवादी ने कुल जमा राशि की 25 प्रतिशत राशि

तथा पहले लिये गये बॉण्ड की 25 प्रतिशत राशि का 6 माह का ब्याज देने हेतु अभियुक्त मुसदीलाल से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि वह अभियुक्त महेश कुमार व इन्द्राज सिंह से सम्पर्क करके बाद में बतायेगा, 15 दिन का समय दो। 15 दिन बाद परिवादी पुनः मुसदीलाल से मिला तो उसने कम्पनी में घाटा आने व मुख्य निदेशक व संचालक के पकड़े जाने पैसे देने इन्कार कर दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी से छल कर कुल 86,600/–रूपये लेकर बेईमानी से गबन किया। उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, बुहाना को भिजवाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 41/2013 अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण तेजपाल, सुरेन्द्र कुमार एवं महेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना में पेश किया गया।

3. पत्रावली न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना से अंतरित होकर दिनांक 13.01.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. अभियुक्तगण तेजपाल, सुरेन्द्र कुमार एवं महेश कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

7. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करते हुए कथन किया कि कम्पनी विशुद्ध रूप से ऑनलाईन प्रशिक्षण का कार्य करती थी। निवेश के लिए कभी किसी से कोई राशि नहीं ली गई तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

8. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में परिवादी की ओर से अभियुक्त महेश कुमार के अलावा अन्य इंद्राज सिंह एवं मुसदीलाल नामक व्यक्तियों को राशि दिया जाना बताया है। प्रकरण में मुसदीलाल एवं इंद्राज सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना है। स्वयं परिवादी ने राशि मुसदीलाल को दिया जाना बताया है। जो दस्तावेज बॉण्ड के रूप में अभियोजन ने पेश किये हैं, वह परिवादी भिन्न रूप में पेश किया जाना बताता है। अभियोजन की ओर से पेश किए गए अन्य गवाहान की ओर से कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है एवं न ही उनकी ओर से राशि जमा करवाये जाने की कोई रसीद आदि पेश की गई है। परिवादी की ओर से स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रवंचना के तथ्य को अपने परिवाद में दर्शित नही किया है। किसी अन्य व्यक्ति ने अभियुक्त के विरूद्ध कोई

Authenticated Document

प्रकरण दर्ज नही करवाया है। कम्पनी को किसी रूप में आरोपी नही माना है। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

11. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 31.01.2011 एवं दिनांक 31.07.2011 को मौजा गुंती में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में कुल 86,600/– रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया?

2. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया?

3. यदि, हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

12. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विवेचन किया जा रहा है।

–प्रारम्भिक पृष्ठभूमि–

13. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी का प्रारम्भ परिवाद प्रदर्श पी. 01 से होता है, जिसमें परिवादी सुबे सिंह ने महेश कुमार, इंद्राज सिंह व मुसदीलाल के दिनांक 31.01.2011 को उसके घर पर आने, प्रिया होम स्टडी प्रा.लि. नामक कम्पनी में जुड़ने पर कम्प्यूटर शिक्षा, दुर्घटना बीमा, लाभांश व मोटरसाईकिल मिलने की कहने पर परिवादी द्वारा उसी दिन 6900, 13,800 व 13,800/– रूपये के तीन बॉण्ड अपने व दो पत्नी के नाम लेने, दिनांक 31.07.2011 को पुनः उक्त तीनों के घर आने पर तीन बॉण्ड और 7800, 11,800 व 11,800/– रूपये के लेने, 18 माह पश्चात लाभांश का समय आने पर परिवादी द्वारा मांग किए जाने मुख्य निदेशक व संचालक के पकड़े जाने व अभियुक्तगण द्वारा कुल 86,600/– रूपये का गबन किए जाने पर परिवाद पेश किये जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया है।

–अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण–

14. अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी सुबे सिंह पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ कथनों में परिवाद के अनुरूप ही कथन करते हुए दिनांक 31.01.2011 को महेश कुमार, इंद्राज कुमार व सुरेंद्र कमाण्डो उसके घर आने, प्रिया परिवार प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा दिए जाने की कहने पर दिनांक 31.01.2011 को 20,200/– रूपये पत्नी के नाम से व 35,000/– रूपये अपने नाम से मुसदीलाल को तीनों लोगों के सामने दिए जाने, मुसदीलाल द्वारा 3 बॉण्ड उसके नाम से

व 2 बॉण्ड उसकी पत्नी के नाम के दिए जाने, दिनांक 31.07.2011 को मुसदीलाल, महेश, इंद्राज व सुरेंद्र के उसके घर आने व पहले बताए अनुसार ऑफर दिए जाने पर 31,400/– रूपये दिए जाने व बदले में 3 बॉण्ड लाकर देने, पहले वाली राशि की मांग किए जाने पर गुमराह किए जाने, तेजपाल निदेशक के मुकदमे में बंद होने, बार–बार सम्पर्क करने पर कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण न्यायालय में इस्तगासा पेश किए जाने बाबत साक्ष्य दी है। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 04 लियाकत अली, पी.डब्ल्यू. 08 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 09 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 12 किशोर देवी, पी.डब्ल्यू. 14 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू. 15 खेमचंद, पी.डब्ल्यू. 18 मायावती ने अपने सशपथ कथनों में सारतः एक दूसरे के अनुरूप ही कथन करते हुए प्रिया परिवार के एजेंण्ट से परिवार के सदस्यों के नाम पर 6800/– रूपये या भिन्न राशि के बॉण्ड खरीदे जाने, कुछ समय बाद लाभांश मिलने, समय पूर्ण होने के बाद भी उन्हें उनकी मूल रकम नहीं लौटाने, ना ही कोई लाभांश या कार देने ना ही कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके रूपये हड़प लेने के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 जयप्रकाश ने अपने सशपथ बयानों में पिलानी रोड़ चिड़ावा पर महेश नूनियां से बिल्डिंग किराये पर लेकर कम्प्यूटर सेंटर चलाने बाबत कथन किए हैं। पी.डब्ल्यू. 03 सोनू ने अपने सशपथ बयानों में सन् 2010 में नीट्स कम्प्यूटर सेंटर सूरजगढ़ में टेली का कोर्स करवाने बाबत कथन किये है। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 महेश कुमार ने आरएससीआईटी कम्प्यूटर का कोर्स करने व एनएसडीसी का कोर्स भी करने के कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 सुरेंद्र कुमार ने दिनांक 22.05.2015 को सीओ सिटी कार्यालय, झुंझुनूं में कानि. के पद पर पदस्थापित होते अनुसंधान अधिकारी द्वारा सीडी प्रदर्श पी. 10 जरिए फर्द प्रदर्श पी. 11 के जब्त किए जाने बाबत साक्ष्य दी है। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 07 पितरपाल,

पी.डब्ल्यू. 10 मनोहर लाल शर्मा, पी.डब्ल्यू. 11 अंकित, पी.डब्ल्यू. 13 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 16 बनारसी व पी.डब्ल्यू. 17 दिनेश कुमार पक्षद्रोही हुए हैं, जिनके द्वारा अभियोजन वृतांत की ताईद नहीं की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 19 गणेश नाथ प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसके द्वारा अपने सशपथ बयानों में अनुसंधान बाबत की गई सिलसिलेवार कार्यवाही के संबंध में कथन किए गए हैं।

–धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का साथ साथ कारित होना–

15. प्रकरण में परिवादी की ओर से पेश परिवाद पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या विरत करने के लिए प्रवंचित किया जाता है तो वहां छल कारित करने का अपराध घटित होता है और उस छल के अग्रसर में किसी सम्पति का आदान प्रदान होता है तो वहां छल कारित कर सम्पति प्राप्त किए जाने के रूप में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जिस राशि के दुर्विनियोग का आरोप है व राशि संबंधित व्यक्ति के पास विधिवत रूप से कब्जे में प्राप्त हुई हो और विधिवत रूप कब्जे में प्राप्त होने के पश्चात उस राशि का उस व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया हो। धारा 420 व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व परस्पर एक दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभ से ही प्रवंचित किया गया हो, वहां उस व्यक्ति के पास उस सम्पति का विधिवत कब्जा नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को विधिवत कब्जा दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभ से प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य समाहित नहीं होगा। दोनों

अपराधों के आवश्यक तत्वों के अनुसार किसी भी रूप में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व एक ही घटना के संबंध में परस्पर समान रूप से एक साथ घटित नहीं हो सकते। न्यायिक विनिश्चय **Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Anr. 2024 INSC 626** के मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है किः–

> 27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के अनुसार धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किसी भी रूप में एक साथ होने योग्य नहीं है। अभियुक्त पर धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दोनों अपराधों के करने का आरोप हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 या 406 भारतीय दण्ड संहिता में से कौन से अपराध के तत्व

साबित है या नहीं, इस संबंध में निर्णय के अग्रेतर भाग में पृथक–पृथक विवेचन किया जा रहा है।

– अभियुक्त द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किए जाने का तथ्य–

17. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी परिवाद प्रदर्श पी. 01 से प्रारम्भ होती है, जिसमें परिवादी ने महेश कुमार अभियुक्त व अन्य दो व्यक्तियों इंद्राज व मुसदीलाल के स्वयं के घर आने और वहां पर कम्पनी के बारे में बताने पर राशि देकर बॉण्ड लेने के तथ्य दर्शित किए हैं। परिवादी न्यायालय में महेश कुमार, इंद्राज एवं सुरेंद्र द्वारा अपने घर दिनांक 31.01.2011 को आने और प्रिया परिवार कम्पनी में फायदे का बताकर स्वयं द्वारा महेश कुमार, इंद्राज व सुरेंद्र के सामने मुसदीलाल को राशि दिए जाने, तत्पश्चात दिनांक 31.07.2011 को मुसदीलाल, महेश व इंद्राज व सुरेंद्र के अपने घर आने पर 31,400/– रूपये देकर तीन बॉण्ड लेने के तथ्य दर्शित किए हैं। प्रथमतः तो परिवादी की ओर से महेश कुमार एवं अन्य दो व्यक्तियों मुसदीलाल एवं इंद्राज के विरूद्ध परिवाद पेश किया है। अनुसंधान से इंद्राज एवं मुसदीलाल के विरूद्ध अनुसंधान अधिकारी ने कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना गया है, वहां परिवादी के परिवाद के तथ्य मूल रूप में ही संदिग्ध प्रतीत होते है। तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवादी अपने परिवाद में दिनांक 31.01.2011 को इंद्राज, महेश कुमार एवं मुसदीलाल का घर आना बताता है। इसके विपरीत अपने सशपथ बयानों में मुसदीलाल के साथ महेश कुमार, इंद्राज व सुरेंद्र का दिनांक 31.01.2011 को घर आना बताता है। परिवादी परिवाद में राशि तीनों व्यक्तियों को दिया जाना बताता है एवं अपनी मुख्य परीक्षा में राशि मुसदीलाल को राशि तीनों व्यक्तियों के सामने दिया जाना बताता है। परिवादी परिवाद में दिनांक 31.07.2011 को अपने परिवाद में पुनः परिवाद में उल्लेखित मुसदीलाल, इंद्राज व महेश कुमार का घर आना

बताता है एवं जबकि इसके विपरित अपने सशपथ बयानों में मुसदीलाल, महेश, इंद्राज व सुरेंद्र का घर आना बताया है। परिवादी की ओर से जो परिवाद में राशि दिया जाना बताया है उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में व्यक्तियों की संख्या व उपस्थिति के संबंध में गम्भीर प्रकृति का विरोधाभास है। परिवादी की ओर से दर्शित इस प्रकार के विरोधाभाष से परिवादी के कथन संदिग्ध प्रतीत होते हैं। परिवादी द्वारा राशि मुसदीलाल को दिया जाना बताया है, परंतु मुसदीलाल प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। परिवादी की ओर से ऐसे कोई कथन नहीं किए गए हैं कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा उसके साथ कोई प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त की गई हो। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता की ओर से जिन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र पेश किया गया है, उनमें से अभियुक्त महेश कुमार के अलावा किसी अन्य के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई तथ्य परिवादी की ओर से अपने परिवाद में नही किया है। वास्तविक रूप से यदि अभियुक्त महेश कुमार के द्वारा अन्य अभियुक्त सुरेन्द्र व तेजपाल के साथ मिलकर किसी रूप में परिवादी को प्रवंचना दी जाकर राशि प्राप्त की जाती तो अवश्य ही परिवादी द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र व तेजपाल के विरूद्ध भी कोई तथ्य अपने परिवाद में दर्शित किया जाता, इससे भी तीनों अभियुक्तगण द्वारा मिलकर परिवादी से प्रवंचना कारित के उपरांत राशि प्राप्त करने संबंधी तथ्य भी संदिग्ध प्रतीत होते है।

18. तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन द्वारा बॉण्ड प्रदर्श पी. 02 लगायत पी. 09 प्रदर्शित कराए हैं, इस संबंध में परिवादी ने जिरह में जो बॉण्ड डिप्टी को पेश किया जाना बताया है उसके पीछे कुछ नहीं होने और जो बॉण्ड न्यायालय में पेश होकर प्रदर्शित हुए हैं, उनके दोनों तरफ होने के तथ्य दर्शित किए गए हैं। परिवादी द्वारा बॉण्ड के संबंध में दर्शित उक्त तथ्य से यह तथ्य पुर्णतया संदिग्ध हो जाता है कि क्या वास्तव में बॉण्ड प्रदर्श पी. 02 लगायत पी. 09 वहीं बॉण्ड है जो

परिवादी की ओर से अनुसंधान अधिकारी को दिए गए? इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा दर्शित राशि अभियुक्त महेश कुमार को परिवादी द्वारा दी गई हो, ऐसी कोई रसीद परिवादी की ओर से पेश नहीं की गई है। तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि जिरह में परिवादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मुसदीलाल ने कम्पनी का नाम लेकर रूपये एवं मुनाफा दिलाने की बात कही थी, उससे भी यह संदिग्ध हो जाता है कि क्या वास्तव में परिवादी को प्रवंचित किया गया हो। यदि अभियुक्त महेश कुमार की ओर से परिवादी को प्रवंचित किया जाता तो अवश्य ही परिवादी जिरह में स्पष्टता के साथ उसके द्वारा राशि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा दी गई प्रंवचना के फलस्वरूप महेश कुमार को दिया जाना बताता।

19. तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवाद प्रदर्श पी. 01 दिनांक 17.01.2013 को पेश किया गया है और परिवादी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पुलिस द्वारा 2012 के बाद उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। परिवादी की ओर से जिरह में की गई इस स्वीकृति से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि परिवाद सन् 2012 के पश्चात पेश हुआ है। तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवादी स्वयं ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 02 लगायत पी. 09 बॉण्ड पर हस्ताक्षर उसके सामने नहीं किए हैं। उक्त बॉण्ड पर अभियुक्त महेश कुमार के हस्ताक्षर हो ऐसा कोई भी तथ्य अभियोजन की ओर से साबित नहीं है, वहां किसी भी रूप में उक्त बॉण्ड अभियुक्त महेश कुमार से संबंधित हो यह नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह तथ्य किसी भी प्रकार से साबित हुआ नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त महेश कुमार की ओर से परिवादी को प्रवंचित कर कोई राशि प्राप्त की गई है।

20. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 02 जयप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 03 सोनू एवं पी.डब्ल्यू. 05 महेश कुमार ने कम्प्यूटर सेंटर से संबंधित औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

21. गवाह पी.डब्ल्यू. 04 लियाकत अली की ओर से सशपथ बयानों में अपने लड़के इदरीश द्वारा गिरधारी लाल एजेण्ट के कहने पर प्रिया परिवार कम्पनी में रूपये जमा करवा कर सदस्य बनने एवं इदरीश की मृत्यु होने पर चालीस हजार रूपये के अतिरिक्त कोई राशि नहीं मिलने बाबत साक्ष्य दी है। उक्त गवाह ने अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किए हैं। गवाह ने उसके पुत्र इदरीश द्वारा एजेण्ट गिरधारी लाल के कहने पर प्रिया परिवार कम्पनी में रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने बाबत साक्ष्य दी है। गिरधारी लाल प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। गवाह की ओर से अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किए गए हैं, जिसके आधार पर यह तथ्य साबित माना जा सके कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित किए जाने के परिणामस्वरूप उसके लड़के इदरीश की ओर से प्रिया परिवार कम्पनी में राशि जमा करवाई गई है।

22. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 08 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 09 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 12 किशोर देवी एवं पी.डब्ल्यू. 18 मायावती ने अपने सशपथ बयानों में एक दूसरे के अनुरूप कथन करते हुए प्रिया परिवार कम्पनी में राशि जमा कराए जाने और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राशि नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए गए हैं, लेकिन जिरह में उक्त गवाहान ने कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने व कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करने के तथ्यों को स्पष्टता के साथ स्वीकार करती हैं। इन गवाहान की ओर से अपनी जिरह में कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने और कम्पनी द्वारा उनके साथ कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करने के तथ्य के स्वीकार किये जाने से यह तथ्य अपने आप में

स्वीकार योग्य नही रह जाता है कि इनकों अभियुक्त द्वारा किसी रूप में प्रवंचित किया हो। केवल मात्र राशि कम्पनी में जमा कराए जाने के तथ्य के आधार पर किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार या इनके जरिए कोई अन्य व्यक्ति द्वारा गवाहान के साथ प्रवंचना कारित होना साबित हुआ नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिसके आधार पर यह तथ्य साबित हो सके कि गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई गई है। यदि वास्तविक रूप से गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई जाती तो राशि जमा करवाए जाने के संबंध में गवाहान की ओर से अवश्य ही कोई रसीद आदि पेश की जाती, जो कि गवाहान की ओर से पेश नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान को प्रवंचना दी जाकर कोई राशि प्राप्त की गई हो ऐसा कोई भी तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

23. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 14 विजय सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 15 खेमचंद की ओर से अपने सशपथ न्यायालय बयानों में प्रिया परिवार कम्पनी के संचालक व निदेशक तेजपाल नूनियां, सुरेंद्र नूनिया व महेश नूनियां के कहने पर 6800/– रूपये प्रत्येक के अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा करवा कर बॉण्ड खरीदने व तेजपाल, सुरेंद्र एवं महेश द्वारा मूल रूपये एवं लाभांश नहीं देने बाबत साक्ष्य दी है। जिरह में गवाहान ने सभी डायरेक्टर्स को नहीं जानने एवं आज तक मिलने के तथ्य से इनकार किया है। कम्पनी के डायरेक्टर्स में केवल तेजपाल एवं सुरेंद्र को पहचानने व मिलने बाबत कथन करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 14 विजय सिंह ने राशि कर्मचारी नरेंद्र सिंह को जमा करवाने एवं रसीद पत्रावली में जमा नहीं करने बाबत कथन किए हैं। दोनों ही गवाहान ने अभियुक्त महेश से नहीं मिलने एवं महेश को कोई राशि नहीं

Authenticated Document

जमा करवाने एवं उसके द्वारा कोई प्रलोभन व लालच नहीं देने के तथ्य को स्वीकार किया है। गवाहान की ओर से मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताया है लेकिन गवाह की ओर से राशि जमा करवाए जाने के संबंध में किसी भी रूप में कोई भी दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है जिसके आधार पर मौखिक कथन स्वीकार योग्य माना जाये कि उनकी ओर से कोई राशि प्रिया परिवार कम्पनी में जमा करवाई गई। स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 14 विजय सिंह जिरह में राशि नरेंद्र सिंह को दिया जाना बताता है जो कि स्वीकृत रूप से गवाह की साक्ष्य को संदिग्धता प्रदान करता है क्योंकि गवाह मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताता है। इसके अतिरिक्त गवाहान की ओर से न केवल अपनी मुख्य परीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, बल्कि ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि इन गवाहान की ओर से अपने साथ हुई घटना/धोखाधड़ी बाबत कोई रिपोर्ट पेश की गई हो। गवाहान द्वारा इस तथ्य को जिरह में स्वीकार किया गया है कि वे कभी अभियुक्त महेश कुमार से नहीं मिले हैं एवं अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान के साथ कोई प्रवंचना कारित हुए उन्हें लालच व प्रलोभन देकर उनकी राशि हड़प कर उनके साथ धोखाधड़ी कारित की गई हो। इस प्रकार जब गवाहान अभियुक्त महेश कुमार से मिलने एवं जानने तक के तथ्य से इनकार करते हैं, वहां अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर उक्त गवहान से कोई राशि प्राप्त की गई हो यह तथ्य अपने आप में विश्वास योग्य नही रह जाता है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू. 07 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 10 मनोहर लाल शर्मा, पी.डब्ल्यू. 11 अंकित, पी.डब्ल्यू. 13 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 16 बनारसी पी.डब्ल्यू. 17 दिनेश कुमार पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनकी

ओर से अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई कथन नहीं किए गए हैं।

25. उपरोक्त विवेचनानुसार किसी भी रूप मे अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित करते हुए राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है।

– आपराधिक न्यास भंग का तथ्य –

26. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें परिवादी एवं शेष गवाहों की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जब अभियुक्त महेश कुमार द्वारा राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा न्यस्त राशि के दुर्विनियोग का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

–धन परिचालन स्कीम को संपरिवर्तित/संचलित करना, सामग्री का प्रकाशन आदि व इस हेतु निदेशक का दायित्व–

27. अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के संबध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 19 गणेश नाथ द्वारा अपने सशपथ कथनों में धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत अपराध प्रमाणित माने जाने के संबंध में कथन किए हैं। धारा 3 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत कोई व्यक्ति इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन नहीं करेगा या ऐसी किसी चिट या स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं करायेगा या उसमें अन्यथा भाग नहीं लेगा या ऐसी चिट स्कीम के अनुसरण में कोई धन प्राप्त नहीं करेगा या प्रेषित नहीं करेगा। इस धारा के तहत अपराध के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी चिट या स्कीम

को संचालित करे या कराए या उसमें सदस्य के रूप में भाग ले या कोई धन प्राप्त करे या कराए। परिवादी व अन्य गवाहों के शपथ कथन पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में प्रवंचना के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां ऐसे कथनों के आधार पर किसी रूप में यह तथ्य भी साबित हुआ नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन किया हो। जब अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन करना या करवाना साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा कोई धन प्राप्त करना या करवाना या ऐसी किसी स्कीम में शामिल होने का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

28. अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 19 गणेश नाथ की ओर से दौराने अनुसंधान बॉण्ड शामिल पत्रावली किये जाने बताये है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं होता जो बॉण्ड अनुसंधानकर्ता की ओर से शामिल पत्रावली किये गये है, वह बॉण्ड किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तैयार किया गया हो या उसका प्रकाशन अभियुक्त महेश कुमार की ओर से किया गया हो या बॉण्ड अभियुक्त द्वारा जारी किया गया हो।

29. जब अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम के रूप में कोई दस्तावेज तैयार किया गया हो, वहां किसी भी रूप में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम हेतु कोई दस्तावेज तैयार किए गए हो।

30. अनुसंधानकर्ता की ओर से किसी भी रूप में कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया गया है। दौराने अनुसंधान कम्पनी को नामित करते हुए अपराध प्रमाणित पाया हो, ऐसा कोई तथ्य अनुसंधानकर्ता की ओर से दर्शित नहीं किया गया है, अभियुक्त द्वारा परिवादी व अन्य सदस्यगण को

Authenticated Document

इनामी चिट फण्ड आदि के लिए प्रेरित करने का कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की स्कीम का प्रकाशन संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है, वहां किसी रूप में कम्पनी के निदेशक या अन्य प्राधिकार के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं माना जा सकता।

–निष्कर्ष–

31. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 31.01.2011 एवं दिनांक 31.07.2011 को मौजा गुंती में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में 86,600/– रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया एवं अभियुक्त प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया। लिहाजा अभियुक्त महेश कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा

3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

32. परिणामतः परिणामतः अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी नूनियां गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध अंतर्गत धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

33. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

YOGESH KUMAR Digitally signed by YOGESH KUMAR

Authenticated Document